न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर,

1- गुलाम अख्तर तनय स्व. दौलित मोहम्मद

2- गुलाम हैदर तनय स्व. दौलित मोहम्मद

दोनो निवासी ग्राम बैढ़न, तहसील सिंगरौली एवं ग्राम पिड़रवाह, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली म0प्र0 — निगरानीकर्तागण

बनाम

1-म0प्र0 शासन

2- राजलखन सिंह तनय शिवधारी सिंह गोड़, निवासी ग्राम तेंदुहा, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 -- गैरनिगरानीकर्तागण

श्री ... 30.6.14 को द्वारा आज प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुध्द आदेश कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्र. 97/अ-74/2011-12, आदेश दिनांक 26. 5. 2014,

===================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई. ।

===================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमियां ग्राम पिड़रवाह तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली मे स्थित है, जो आवेदकगण अलग-अलग प्रकरण क्रमांको के अन्तर्गत ग्रामो की दखलरहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के प्रावधान के अन्तर्गत सन 198

72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1934-दो/2014 जिला सिंगरौली

गुलाबअख्तर विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 97/अ-74/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	